



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-19042023-245266  
CG-RJ-E-19042023-245266

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1704]

No. 1704]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2023/चैत्र 29, 1945

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2023/CHAITRA 29, 1945

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 13 अप्रैल, 2023

**का.आ. 1784(अ).**—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में विशेष रेल परियोजना, मावली जं. – बडीसादडी आमान परिवर्तन के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और परिचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 के उपधारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर, जिला उदयपुर, राजस्थान को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्योरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

राजस्थान राज्य में विशेष रेल परियोजना, मावली जं. बड़ीसादड़ी आमाम परिवर्तन परियोजना (उपखण्ड भीण्डर) के लिए अधिग्रहण किए जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम :- उदयपुर

| क्रम संख्या | तहसील का नाम | ग्राम का नाम | खसरा संख्या | भूमि की प्रकृति | कुल अवास क्षेत्रफल (हेक्टेयर) |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| 1           | कानोड़       | कानोड़ A     | 155         | माल II          | 0.0680                        |
|             |              | कानोड़ A     | 154         | माल II          | 0.0400                        |
|             |              | कानोड़ A     | 153         | माल II          | 0.0940                        |
|             |              | कानोड़ A     | 5045/153    | पडत द्वितीय     | 0.0380                        |
|             |              |              | कुल योग     |                 | 0.2400                        |

[फा. सं. उपरे/मुख्या/स.&नि.443599200 भाग-2]

वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAY

[North Western Railway (Construction Organization)]

### NOTIFICATION

Jaipur, the 13th April, 2023

**S.O. 1784(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railways Project, namely, Mavli junction – Bari sadri Gauge conversion in District Udaipur in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub-Divisional Officer, Bhindar, District- Udaipur, Rajasthan, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway project namely  
Mavli Junction – Barisadri Gauge Conversion Project for Sub-division officer, Bhindar in the State of  
Rajasthan.**

Name of District :- Udaipur

| S. No. | Name of Tehsil | Name of Village | Khasra No.   | Nature of Land | Land to be acquired (in Hect.) |
|--------|----------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------------------|
| 1      | Kanod          | Kanod A         | 155          | माल II         | 0.0680                         |
|        |                | Kanod A         | 154          | माल II         | 0.0400                         |
|        |                | Kanod A         | 153          | माल II         | 0.0940                         |
|        |                | Kanod A         | 5045/153     | पडत द्वितीय    | 0.0380                         |
|        |                |                 | <b>Total</b> |                | <b>0.2400</b>                  |

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.II]

VED PRAKASH, Chief Administrative Officer (Cons.)